नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/9	एकादली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित पेश करते तलबी व मुकाबला चाहे जाने पर मौजूदगी में एक अवसर न्यायालय मत पर दिया जाकर एकादली दिनांक 9/9 को पेश हो। 5/11/9 सहायक अभिलेखागार मुख्य मुंसिफ	
29/9	एकादली पेश हुई। वकील व पक्षकारान उपस्थित पेश करते मुकाबला व मध्यस्थ की तलबी अवसर चाहा जाने पर और अवसर नहीं दिया जाना न्यायालय मत पर उचित नहीं समझा जाकर एकादली आदेश में ली जाकर अवलोकन किया गया। वादी का यह वाद दिनांक 10-3-15 को विपक्ष प्रतिवादीगण वादत शुद्ध अंतरिम निषेधाज्ञा का पेश किया गया। वादी को अवधीष प्रतिवादी नामिला नं 2, से 4, 6, 10, 13, 14 की नामिला पेश करने हेतु न्यायालय में मजबूत अवसर दिये जाने के बावजूद भी नामिला पेश नहीं करना पाया है। इस प्रकार किसी भी पक्षकार को न्यायालय के आदेश की पालना नहीं करने की अनुमति नहीं है अतः वाद वादी की स्तर पर इन आदेश 9 नियम 5 सपठित धारा 151 के प्रावधानों के तहत एक तरफा में खारिज किया जाता है। एकादली फैसल होकर दर्ज रजिस्टर हो कर एक बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 5/09/15